

(1)

विविध सिविल अपील-13/2015

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला-भिण्ड

(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध अपील क्रमांक: 13/2015

संस्थापन दिनांक 28/09/2015

सरदार सिंह पुत्र काशीप्रसाद आयु 62 साल

जाति गुर्जर निवासी वार्ड नंबर-17, कीरतपुरा

तहसील गोहद जिला भिण्डअपीलार्थी/प्रतिवादी

वि रू द्ध

1. प्रीतम सिंह पुत्र काशीप्रसाद गुर्जर आयु 60 साल,
निवासी वार्ड नंबर-17, गोहद.असल प्रत्यर्थी/वादी
2. गंभीर सिंह आयु 52 साल
3. चरनसिंह आयु 50 साल
4. राजेन्द्र सिंह, आयु 55 साल
5. जण्डेल सिंह आयु 58 साल पुत्रगण काशीप्रसाद,
जाति गुर्जर निवासीगण वार्ड नंबर-17, गोहद
जिला भिण्ड मध्यप्रदेशक्रमबद्ध प्रत्यर्थीगण/वादीगण

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, गोहद

द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-70ए/15 में पारित

आदेश दिनांक-07/08/2015 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/वादीगण क्र0-1 द्वारा श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/वादीगण क्र0-2, 3, 4 व 5 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

एवं

विविध अपील क्रमांक: 15/2015

संस्थापन दिनांक 10/09/2015

1. गंभीर सिंह आयु 51 साल
2. चरनसिंह आयु 50 साल
3. राजेन्द्र सिंह आयु 55 साल
4. जण्डेल सिंह आयु 57 साल पुत्रगण काशीप्रसाद गुर्जर
निवासीगण वार्ड नंबर-17, गोहदअपीलार्थी/प्रतिवादी

वि रू द्ध

1. प्रीतम सिंह पुत्र काशीप्रसाद गुर्जर आयु 60 साल,
निवासी वार्ड नंबर-17, गोहद.....असल प्रत्यर्थी/वादी
2. सरदार सिंह पुत्र काशीप्रसाद, उम्र 70 साल

जाति गुर्जर निवासीगण वार्ड नंबर-17, गोहद
जिला भिण्ड मध्यप्रदेशकमबद्ध प्रत्यर्थीगण/वादीगण

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, गोहद
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-70ए/15 में पारित
आदेश दिनांक-07/08/2015 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/वादीगण क्र०-1 द्वारा श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/वादीगण क्र०-2, द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक **22 जनवरी, 2016** को खुले न्यायालय में पारित)

1. विविध सिविल अपील प्रकरण क्रमांक-13/2015 एवं 15/2015 में पारित आलोच्य आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एक ही होने से दोनों विविध सिविल अपील प्रकरणों को समेकित करते हुए उनका एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
2. विविध सिविल अपील प्रकरण क्र०-13/2015 एवं विविध सिविल अपील प्रकरण क्र०-15/2015 में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने यह अपील श्री पंकज शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक-70ए/15 में दि. 07/08/2015 को पारित आदेश, के विरुद्ध पेश की है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर पेश की है।
3. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कीरतपुरा तहसील गोहद में स्थित है एवं वादी/प्रत्यर्थी तथा प्रतिवादी/अपीलार्थी क्र०-01 लगायत 05 सगे भाई हैं।
4. विविध सिविल अपील प्रकरण क्र०-13/2015 में विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादी प्रीतम सिंह आदि द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सरदार सिंह के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि वादी/प्रत्यर्थी एवं प्रतिवादी/अपीलार्थी क्र०-01 लगायत-05 वादग्रस्त भूमि में अपने अपने भाग पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर अपने हिस्से अनुसार खेती करते चले आ रहे हैं। न्यायालय तहसील गोहद में बंटवारा प्रकरण क्र०-13/09-10/अ-27 में पारित आदेश दि०-02/08/2010 के माध्यम से आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा होकर अलग अलग खाते कायम किए जा चुके हैं। उक्त बंटवारे के अनुसार आवेदन के पद क्र०-1 में वर्णित भूमि में से हिस्से के अनुसार मुख्य मार्ग की तरफ का हिस्सा आवेदक को प्राप्त हुआ है। उक्त बंटवारा वादी/प्रत्यर्थी, अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की सहमति से हुआ था।
5. बंटवारा होकर अलग अलग खातों की भूअधिकार ऋण पुस्तिका जारी की जा चुकी हैं, लेकिन प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की नीयत खराब होने से अनाधिकार रूप से वादी/प्रत्यर्थी के हिस्से में आई सड़क की तरफ की भूमि पर बलपूर्वक नींव खोदकर निर्माण

कार्य करने की धमकी दी, तब वादी द्वारा एक लिखित आवेदन दि०-08/06/2015 को एस.डी.एम. गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसपर एस.डी.एम. गोहद द्वारा थाना गोहद चौराहा को निर्देशित किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे बलपूर्वक निर्माण कार्य को रूकवाया गया। किन्तु प्रतिवादीगण दि०-02/07/2015 को पुनः बलपूर्वक निर्माण करने का प्रयास करने लगे और निर्माण सामग्री एकत्रित करके विवादित जगह पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य से इंकार करने लगे। जिससे सुविधा संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया। यदि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण कार्य किया गया तो वादी/प्रत्यर्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रतिवादी क्र०-1 लगायत-05/अपीलार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र के माध्यम से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य करने से रोकने, वादी के आधिपत्य में कोई बाधा न पहुंचाने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने जवाब पेश करते हुए विरोध करते हुए व्यक्त किया कि वादी/प्रत्यर्थी विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं जिन्हें बंटवारे में वादग्रस्त सर्वे क्रमाकों में से रोड से लगी हुई डेढ़ डेढ़ विस्वा भूमि दी गई है। इस भूमि पर वादी प्रीतमसिंह का 56 गुणित 70 फुट पर एक मंजिला पक्का मकान बना है तथा सभी भाईयों को इसी सर्वे क्रमांक के पीछे की भूमि प्राप्त हुई है, बंटवारे में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वादी/प्रत्यर्थी को सड़क के किनारे से लगी भूमि बंटवारे में दी जाये। जबकि फर्द बंटवारे में ऐसा उल्लेख नहीं है, वादी/प्रत्यर्थी ने जानबूझकर बंटवारा हो जाने के बाद आज तक वादग्रस्त भूमि का बंटाकन नहीं कराया। एस.डी.एम. गोहद द्वारा कभी भी निर्माण कार्य रोके जाने का आदेश पारित नहीं किया गया। जिससे न तो प्रथम दृष्टया मामला, न ही सुविधा संतुलन वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में है। उसे किसी भी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति कारित होना संभव नहीं है इसलिये आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

7. विविध सिविल अपील प्रकरण क्र०-15/2015 में यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि वादग्रस्त सर्वे नंबरान की भूमि जो रोड के किनारे लगी है उसमें से वादी, प्रीतम सिंह व सभी प्रतिवादीगण को डेढ़-डेढ़ विस्वा भूमि बंटवारे में मिली है जिसमें सभी के अपने अपने अलग अलग मकान काफी समय पहले के पुराने बने हुए हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश की कंडिका 9 में यह लेख करना कि बंटवारा तो हुआ है परंतु बंटाकन होकर नवीन सर्वे नंबर निर्मित नहीं हुए, नितांत गलत है। जब वादी प्रीतम सिंह को जो भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई है उसमें उसका मकान बना है और इससे ज्यादा विशिष्ट भाग क्या हो सकता है, इसी प्रकार सभी प्रतिवादीगण के मकान अपने अपने विशिष्ट भाग में बने हैं। इसके अलावा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष देना कि विशिष्ट भाग प्राप्त नहीं हुए हैं, नितांत गलत है और पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विवेचन करके आवेदनपत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है, जो निरस्ती योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. विविध सिविल अपील प्रकरण क्र०-13/2015 में विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादी प्रीतम सिंह आदि द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण गंभीर सिंह के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि वादी/प्रत्यर्थी एवं प्रतिवादी/अपीलार्थी क्र०-01 लगायत-05 वादग्रस्त भूमि में अपने अपने भाग पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर अपने हिस्से अनुसार खेती करते चले आ रहे हैं। न्यायालय तहसील गोहद में बंटवारा प्रकरण क्र०-13/09-10/अ-27 में पारित

आदेश दि०-02/08/2010 के माध्यम से आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा होकर अलग अलग खाते कायम किए जा चुके हैं। उक्त बंटवारे के अनुसार आवेदन के पद क्र०-1 में वर्णित भूमि में से हिस्से के अनुसार मुख्य मार्ग की तरफ का हिस्सा आवेदक को प्राप्त हुआ है। उक्त बंटवारा वादी/प्रत्यर्थी, अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की सहमति से हुआ था।

9. बंटवारा होकर अलग अलग खातों की भूअधिकार ऋण पुस्तिका जारी की जा चुकी हैं, लेकिन प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की नीयत खराब होने से अनाधिकार रूप से वादी/प्रत्यर्थी के हिस्से में आई सड़क की तरफ की भूमि पर बलपूर्वक नींव खोदकर निर्माण कार्य करने की धमकी दी, तब वादी द्वारा एक लिखित आवेदन दि०-08/06/2015 को एस.डी.एम. गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसपर एस.डी.एम. गोहद द्वारा थाना गोहद चौराहा को निर्देशित किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे बलपूर्वक निर्माण कार्य को रुकवाया गया। किन्तु प्रतिवादीगण दि०-02/07/2015 को पुनः बलपूर्वक निर्माण करने का प्रयास करने लगे और निर्माण सामग्री एकत्रित करके विवादित जगह पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य से इकार करने लगे। जिससे सुविधा संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया। यदि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण कार्य किया गया तो वादी/प्रत्यर्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रतिवादी क्र०-1 लगायत-05/अपीलार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र के माध्यम से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य करने से रोकने, वादी के आधिपत्य में कोई बाधा न पहुंचाने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया।

10. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने जवाब पेश करते हुए विरोध करते हुए व्यक्त किया कि वादी/प्रत्यर्थी विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं जिन्हें बंटवारे में वादग्रस्त सर्वे क्रमाकों में से रोड से लगी हुई डेढ डेढ विस्वा भूमि दी गई है। इस भूमि पर वादी प्रीतमसिंह का 56 गुणित 70 फुट पर एक मंजिला पक्का मकान बना है तथा सभी भाईयों को इसी सर्वे क्रमांक के पीछे की भूमि प्राप्त हुई है, बंटवारे में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वादी/प्रत्यर्थी को सड़क के किनारे से लगी भूमि बंटवारे में दी जाये। जबकि फर्द बंटवारे में ऐसा उल्लेख नहीं है, वादी/प्रत्यर्थी ने जानबूझकर बंटवारा हो जाने के बाद आज तक वादग्रस्त भूमि का बंटाकन नहीं कराया। एस.डी.एम. गोहद द्वारा कभी भी निर्माण कार्य रोके जाने का आदेश पारित नहीं किया गया। जिससे न तो प्रथम दृष्टया मामला, न ही सुविधा संतुलन वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में है। उसे किसी भी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति कारित होना संभव नहीं है इसलिये आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

11. विविध सिविल अपील प्रकरण क्र०-15/2015 में यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अपीलांत/प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई है, बिना तामीली के ही छल, कपट, बेईमानी से निषेधाज्ञा प्राप्त की है। वादी/प्रत्यर्थी ने अपने दावे में विवादित जगह पर खेती होना उल्लेखित किया है। जबकि उक्त जगह गोहद चौराहा पर ग्वालियर एवं गोहद रोड पर स्थित है जिसका मानचित्र संलग्न किया है और मानचित्रानुसार हमेशा ही दुकानें वादी व प्रतिवादीगण की बनी हुई हैं। राजस्व अभिलेख में बंटवारा अवश्य है किन्तु किस पक्षकार की कौन सी जगह है ऐसा बंटवारे में उल्लेख नहीं है। वादी ने अपने दावे के साथ मानचित्र भी पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा निर्माण कितना पुराना है। बंटवारे में सभी पक्षकारों को नंबर प्राप्त हुए और उसमें रकवे का उल्लेख है लेकिन वह रकवा कहां स्थित है और कितनी लंबाई चौड़ाई का है ऐसा उल्लेख नहीं है। अतः शामिलाली जमीन और रेस्पोडेंट क्र०-1 की जमीन चिन्हित नहीं की फिर भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि विधान के विपरीत होने से काबिज निरस्ती योग्य है क्योंकि वह कल्पना पर आधारित है। अतः

आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

12. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि -

1. "क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त किए जाने योग्य है?"

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

13. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से अपने अंतिम तर्कों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.15 को चुनौती देते हुए मूलतः यह व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं। उनका विधिवत सहमति के आधार पर तहसील से बंटवारा हो चुका है। बंटवारे के आधार पर सभी को रोड़ के किनारे लगी हुई डेढ़ डेढ़ विस्वा भूमि प्राप्त हुई है जिनके काफी समय से मकानात व दुकानें बनी हुई हैं। इससे ज्यादा विशिष्ट भू-भाग स्पष्ट नहीं किया जा सकता है और सभी के मकान अपने अपने भाग में बने हुए हैं। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को आलोच्य आदेश करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है और विधि विरुद्ध एवं राजनियम के विपरीत आलोच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किया जावे।
14. विविध सिविल अपील क्रमांक-15/15 के अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि विधिवत बंटवारा होकर अलग-अलग खाते भी कायम हो चुके हैं। तथा अपीलार्थी गंभीरसिंह, चरनसिंह, राजेन्द्रसिंह और जण्डैलसिंह पर मूल वाद की कोई तामिली नहीं हुई और तामिली कुनिन्दा से मिलकर झूठी रिपोर्ट लेने से इन्कार की लगवा दी। जब प्रत्यर्थी/वादी प्रीतमसिंह द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया और उसका नोटिस प्राप्त हुआ तब उन्हें प्रथम बार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने की जानकारी हुई। वादी ने अपने दावे के साथ कोई मानचित्र भी संलग्न नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और कौनसा निर्माण नया है और कौनसा निर्माण पुराना है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है और अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश को अपास्त किया जावे।
15. प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाण्डिक विविध सिविल अपीलों के संबंध में खण्डन स्वरूप यह तर्क किया गया है कि तहसील से बंटवारे का आदेश अवश्य हुआ है और अलग अलग खाते भी बने हैं किन्तु कोई बटांकन नहीं हुआ है और सभी अपने अपने हिस्सों पर खेती करते चले आ रहे हैं तथा अपीलार्थी/प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से उसके हिस्से की सड़क तरफ की भूमि पर बल पूर्वक निर्माण कार्य करने हेतु प्रयत्नशील हैं जिसके कारण सर्वप्रथम एस0डी0एम0 गोहद को आवेदन किया गया था। एस0डी0एम0 गोहद द्वारा पुलिस के माध्यम से निर्माण को रूकवाया गया था लेकिन पुनः निर्माण सामग्री एकत्रित कर निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहने और मना करने पर भी न मानने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया और स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित व सदभावनापूर्ण मानते हुए स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की है। किन्तु अपीलार्थीगण उसके बाद भी निर्माण कार्य को जारी किये हुए हैं और आदेश की अवहेलना कर रहे हैं जिसके संबंध में भी कार्यवाही की गई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है। उक्त अपीलों केवल प्रकरण

को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत की गई हैं इसलिये सव्यय निरस्त की जावें।

16. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुत तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं आलोच्य आदेश का भी अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मूलवाद में सभी पक्षकार उपस्थित हैं, वाद प्रश्नों की रचना की जा चुकी है किन्तु एकपक्षीय रहे प्रतिवादी क्र०-2 लगायत 5 अर्थात् विविध सिविल अपील क्रमांक-15/15 के अपीलार्थीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने संबंधी आवेदन विचाराधीन है। प्रस्तुत अपीलों में इस बिन्दु पर निराकरण किया जाना है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश मुताबिक निर्माण कार्य को रोके जाने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की है, क्या वह पत्रावली एवं तथ्य परिस्थितियों या विधि के प्रतिकूल हैं या नहीं?
17. हस्तगत मामले में यह निर्विवादित तथ्य है कि मूल वादी/प्रत्यर्थी क्र०-1 प्रीतमसिंह तथा अपीलार्थीगण आपस में सगे भाई हैं और उनके मध्य न्यायालय तहसीलदार गोहद के समक्ष बंटवारा प्र०क्र०-13/09-10 अ-27 में आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 02.08.10 को बंटवारे का आदेश हुआ था और उसमें सभी पक्षकारों को बंटवारे में प्राप्त हुई भूमियों का उल्लेख फर्दों में किया गया है और उनके अलग-अलग खाते बन गये हैं किन्तु बंटवारा आदेश के अनुक्रम में कोई बटांकन नहीं हुए हैं कि किस व्यक्ति को किस सर्वे नंबर का कौनसा भाग चिन्हित कर बंटवारे में प्राप्त हुआ है न ही इस संबंध में कोई नक्शा अर्द्ध है कि किस हिस्सेदार को कौनसी भूमि किस दिशा में कितने कितने क्षेत्रफल में मिली है। यह नक्शा अर्द्ध के माध्यम से ही निश्चित हो सकता है जबकि बटांकन उक्त बंटवारा आदेश के अनुक्रम में किया जाता है। इससे बंटवारे का पूर्णतः अनुपालन होना दर्शित नहीं होता है।
18. यह सुस्थापित विधि है कि अविभाजित संपत्ति की दशा में प्रत्येक सहस्वामी का प्रत्येक अंश भाग पर समान रूप से हक अधिकार व स्वत्व होता है। बटांकन के वगैर कोई भी किसी विशिष्ट भू-भाग पर अपना हक, अधिकार या स्वत्व नहीं जता सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **शंकरा को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड विरुद्ध एम० प्रभाकर एवं अन्य ए०आई०आर० 2011 एस०सी० पेज-2161** अवलोकनीय है।
19. अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये वादी/आवेदक को अपना मामला प्रथम दृष्टया प्रबलता से स्थापित करना होता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **नरेश सेठ विरुद्ध महंत कृष्णगोपाल पुरी 2006 भाग-1 एम०पी०एल०जे० पेज-68** में तथा न्याय दृष्टांत **शिवबिहारी श्रीवास्तव विरुद्ध मैसर्स यूनिवर्सल आई०एन०पी० इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड 1991 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-04** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के समय वाद प्रस्तुति दिनांक की स्थिति का परीक्षण व परिरक्षण करना चाहिए कि मौके की क्या स्थिति है।
20. हस्तगत मामले में पक्षकारों के मध्य इस तरह का कोई बटांकन होना दर्शित नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस हिस्सेदार को सड़क तरफ कौनसा भाग मिला है। राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्शाई गई है जैसा कि बंटवारा आदेश से भी प्रकट होता है जिसकी छायाप्रति अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर पेश है। ऐसा कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर पेश नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि का किसी भी हिस्सेदार ने कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये डायवर्सन कराया हो। न ही कोई निर्माण स्वीकृति किसी भी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना प्रकट होती है। अभिलेख पर ऐसी भी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शित करे कि वादग्रस्त सर्वे क्रमांकों की किसी भूमि के किसी भाग पर दावा प्रस्तुति के पूर्व से कोई मकानियत या दुकानें निर्मित हों। जबकि अपीलार्थीगण अपने अपील ज्ञापनों में पूर्व से मकान व दुकानें निर्मित होना बताते हैं। लेकिन कब बनी है, क्या कोई निर्माण अनुमति ली गई है या डायवर्सन कराया गया, ऐसा स्पष्ट नहीं करते हैं। इसलिये वादी/प्रत्यर्थी क्र०-1 के लिये मूल वाद के साथ कोई नजरीय नक्शा संलग्न न किये जाने

का कोई दुष्प्रभाव निर्माण के बिन्दु पर नहीं माना जा सकता है क्योंकि जब तक पक्षकारों के मध्य बंटवारा आदेश के अनुक्रम में बटांकन नहीं हो जाता तब तक विशिष्ट भू-भाग पर वे अपना हक प्रकट नहीं कर सकते हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि सभी को सड़क तरफ डेढ़ डेढ़ विस्वा भूमि प्राप्त हुई है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्माण को निषेधित करने के संबंध में वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रबल मामला मानने में कोई विधिक त्रुटि की जाना परिलक्षित नहीं होता है।

21. चूंकि बटांकन नहीं हुआ है ऐसे में निर्माण को निषेधित न किये जाने की दशा में विवादित स्थान जो कि मुख्य मार्ग की तरफ का बताया गया है, उसके संबंध में व्यर्थ की पेचीदगियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, वाद बाहुल्यता भी हो सकती है। इस दृष्टि से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी वादी के पक्ष में माने जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थीगण का अपील ज्ञापनों के माध्यम से लिये गये आधार कि दुकानें हमेशा से बनी हुई हैं, या वादी ने यह मानचित्र पेश नहीं किया है कि किस जगह पर नया निर्माण है, किस जगह पर पुराना निर्माण है, यह कोई महत्व नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत की गई विविध सिविल अपीलों में कोई विधिक बल नहीं है। परिणामतः दोनों प्रस्तुत विविध सिविल अपीलों क्रमांक-13/15 एवं 15/15 को सारहीन मानते हुए इस निर्देश के साथ निरस्त किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वे मूल प्रकरण में विशेष रुचि लेकर शीघ्रता से निराकरण करने में सहयोग करेंगे।

22. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

दिनांक- 22.01.2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)